न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा /91/2014 तारीख रजु 13.8.2014

उनवान

वीरेन्द्र कुमार पुत्र सूरजमल जाति ब्राह्मण वगैरह निवासी ग्राम लहचौडा तहसील हिण्डौन जिला करौली।

————वादीगण(06)

बनाम

रामनारायण पुत्र रामफल जाति ब्राह्मण वगैरह निवासी लहचौडा तहसील हिण्डौन जिला करौली।

———प्रतिवादीगण(07)

उपस्थितिः—

सायलान की ओर से :—श्री राधेश्याम शर्मा एडवाकेट।

गैरसायलान की ओर से :— श्री सुरेश चंद शर्मा एडवोकेट।

निर्णय

दिनांक 28.02.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा ग्राम ग्राम लहचौडा तहसील हिण्डौन के खसरा नम्बर 245, 246, 264, 265, 283, 284, 322, 1941/1986, 440, 442, 441, 447, 435, 139/1 के संबंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार—बार आवाज दिलाने के उपरांत भी वादी पक्ष अनुपस्थित है ।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 91/2014 वीरेन्द्र कुमार बनाम रामनारायण अदम हाजरी एव अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2020.08.07 15:39:18 IST
Reason: SelfAttested